Date 26/4/20 Page (1)

BA Part II Paper II

Social Anthropology - (Hs)

Tribal Problems and welfare

From - Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College Sasaram

जनजाति समस्याएँ

सामान्य रूप मे जनजातियो की समस्याओ निम्नलिखित है

① प्राकृतिक ससाधनो पर नियंत्रण की समाप्ति - ब्रिटिश शासन के आगमन के पूर्व जनजातियो के प्राकृतिक ससाधनो (भूमि जंगल वन्य जीवन जल, मिट्टी, मत्स्य इत्यादि) के उपर स्वामित्व एवम् प्रबंधन के निर्बाध अधिकारो का उपयोग करती थी। औपनिवेशिक शासन के अधीन अधिकाधिक जनजातीय क्षेत्रो को शामिल किया गया है। भारत मे औद्योगीकरण की शुरुआत तथा खनिजो की खोज ने जनजातिय क्षेत्रो को बाहरी जगत के लिए खोल दिया। जनजातियो ~~क्षेत्रो को बाहरी~~ के नियंत्रण का स्थान राजकीय नियंत्रण द्वारा ले लिया गया। इस प्रकार जनजातियो की कभी न खत्म होने वाली विपन्नता का दौर शुरु हुआ। स्वतन्त्रता के बाद विकास प्रक्रिया के साधनो के रूप मे भूमि एवं वनो पर दबाव बढता गया। इसका परिणाम भूमि पर से स्वामित्व अधिकारो की समाप्ति के रूप मे सामने आया। इसने बेतहाशा ऋणग्रस्तता, भूस्वामी महाजन, ठेकेदार, तथा अधिकारी जैसे शोषणकर्ता वर्गो का जन्म दिया। संरक्षित एवं वनो एवं राष्ट्रीय पार्क की अवधारणाओ ने जनजातियो मे अपनी सांस्कृतिक जड़ो से कटने का भाव उत्पन्न किया और वे अपनी आजीविका के सुरक्षित साधनो से वंचित होते गये।

शिक्षा का अभाव - 2001 की जनगणना के अनुसार जनजातियो की कुल जनसंख्या का 70% से अधिक भाग निरक्षर है। जनजातियो मे अंधविश्वास, व पूर्वाग्रह, अत्यधिक गरीबी, कुल शिक्षको व अन्य सुविधाओ की कमी आदि ऐसे कारक है जो जनजातीय क्षेत्रो मे शिक्षा के विस्तार को बाधित करते है। शिक्षा के प्रसार के द्वारा ही जनजातियो को विकास प्रक्रिया मे सच्चा भागीदार बनाया जा सकता है।

विस्थापन एवं पुनर्वास - स्वतंत्रता के पश्चात विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु भारी उद्योगो एवं कोर सेक्टर का विकास रहा है। इसके परिणामत: विशाल इस्पात संयंत्र, शक्ति परियोजनाओ एवं बड़े बांध अस्तित्व मे आए जिन्हे अधिकतर जनजातीय दिहाड़ा वाले क्षेत्रो मे स्थापित किया गया। इन क्षेत्रो मे खनन सम्बन्धी गतिविधियां भी तीव्र होती गई एवं परियोजनाओ हेतु सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रो की भूमि का विशाल पैमाने पर अधिग्रहण किया गया; जिससे जनजातीय लोगो के विस्थापन की समस्याएं पैदा हुई। छोटानागपुर ओडीसा पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ एवम् मध्य प्रदेश के जनजातीय संकेन्द्रण वाले क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुए

सरकार द्वारा प्रदान की गई नकद क्षतिपूर्ति की राशि व्यर्थ के कार्यों में अपव्यय हो गयी। औद्योगिक क्षेत्रों में विस्थापित जनजातियों को बसाने के समुचित प्रयासों के अभाव में ये जनजातियां या तो निकट की मलिन बस्तियों में रहने लगीं या अकुशल श्रमिकों के रूप में निकटवर्ती प्रदेशों में प्रवास कर गयीं। शहरी क्षेत्रों इन्हें जटिल मनोवैज्ञानिक समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि ये शहरी जीवन शैली एवं मूल्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में समर्थ नहीं हो पाती हैं।

स्वास्थ्य एवं कुपोषण की समस्याएं — आर्थिक पिछड़ेपन एवं असुरक्षित आजीविका के साधनों के कारण जनजातियों को कई स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया, क्षय, रोग, पीलिया, हैजा तथा अतिसार जैसी बीमारियां व्याप्त रहती हैं। लौह तत्व की कमी, रक्ताल्पता, उच्च शिशु मृत्युदर एवं जीवन प्रत्याशा का निम्न स्तर आदि समस्याएं कुपोषण से जुड़ी हुई हैं।

सांगठनिक मुद्दे :- प्राकृतिक पर्यावरण के क्षय, विशेषत वनों के विनाश व संसाधनों की घटती मात्रा के कारण, ने जनजातीय महिलाओं की स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला है। खनन व उद्योग हेतु जनजातीय क्षेत्रों का खुलना तथा उनका व्यवसायीकरण होना जनजातियों के स्त्री-पुरुषों को बाजार की अर्थव्यवस्था के चक्रव्यूह का शिकार बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इनका शोषण होने लगा। गरीबी एवम् अशिक्षित होने के कारण ठेकेदारों द्वारा इनका शोषण दोहन किया जाने लगा।

पहचान का संकट — जनजातियों की परंपरागत संस्थाओं एवं कानूनों का आधुनिक संस्थाओं के साथ टकराव होने से जनजातियों में पहचान के संकट की आशंकाएं पैदा हुई हैं। जनजातियों भाषाओं व उपभाषाओं की विलुप्ति भी एक विचार का विषय है क्योंकि यह सुनिश्चित क्षेत्रों में जनजातीय पहचान के क्षरण के संकेतक हैं।

Date → जनजातीय कल्याण — देश के सबसे पिछड़े जनजातीय समाज यानी आदिवासियों के उत्थान और कल्याण के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। आदिवासी मामलों का मंत्रालय नई नई योजनाएं लाकर और उनका क्रियान्वयन कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर रहा है। केन्द्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के साथ ही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वायत्तता की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं। सरकारी योजनाएं का लाभ तमाम राज्यों के दूर-दराज के इलाकों में बसे जनजातीय लोगों को मिलने लगा है। इसी का परिणाम है कि अब वो देश के

अन्य लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगे हैं।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के बजट में बढ़ोतरी — आदिवासियों के उत्थान को लेकर सरकार 2016-17-18 के बजट में जनजातीय मंत्रालय के बजट में 10 फीसदी की बढ़ोतरी की है। केन्द्र सरकार ने जनजातीय मामलों के मंत्रालय को कुल 5329 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन कल्याण हेतु किया गया है। केन्द्र सरकार ने सभी मंत्रालयों में जनजातियों के कल्याण के लिए बजट आवंटन में 30 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की है। जनजाति विद्यार्थियों के लिए उच्चतर शिक्षा सम्बन्धी नेशनल फेलोशिप और स्कॉलरशिप हेतु बजट में 140 प्रतिशत की वृद्धि की गई है इसके लिए वर्ष 2016-17 के रुपये 50 करोड़ की तुलना में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 120 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

जनजातीय समुदायों का कौशल विकास — जनजातीय समुदाय के आर्थिक विकास के लिए काफी काम किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय के युवाओं को केन्द्र सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम से जोड़ा गया है। जनजातीय लोगों को आधुनिक तकनीकि से प्रशिक्षित कर कृषि, बागवानी मछलीपालन, पशुपालन जैसे पारंपरिक पेशों के अलावा उन्हें प्रिंट-एंड मोबाइल की मरम्मत, ब्यूटीशियन, डाटा एंट्री ऑपरेटर सुरक्षागार्ड वर्केल नर्स जैसे क्षेत्रों में पारंगत किया जा रहा है इसके साथ ही चित्रकारी, हथकरघा हस्तशिल्प, राजमिस्त्री इलेक्ट्रीशियन जैसे क्षेत्रों में जनजातीय लोगों को कौशल विकास के तहत प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

जल, जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार — देश के तमाम राज्यों में रहने वाले लाखों आदिवासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जल जंगल, जमीन पर उनके हक को बरकरार रखने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। तमाम आदिवासी समूहों द्वारा इस संबंध में शिकायत की जाती रही है। सरकार ने जनजातीय समूहों को भरोसा दिलाया है कि उनके अधिकारों की पूरी रक्षा की जाएगी, विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जरूरी है लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन आदिवासियों की कीमत पर नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि जल जंगल जमीन पर आदिवासियों का अधिकार रहेगा। क्योंकि वे उसकी उपासना करते हैं। जनजातियों क्षेत्रों में विकास केन्द्रों में शिक्षा, अस्पताल जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए आश्रम स्कूल — सरकार ने जनजाति के छात्रों के लिए देशभर में आश्रम स्कूलों के निर्माण के धनराशि उपलब्ध कराई है। इन स्कूलों में करीब 1,15,000 सीटों की व्यवस्था की गई है। विभिन्न राज्यों ने भी

सरकार ने भी 3272 जनजातीय छात्रों और छात्राओं के लिए आश्रम स्कूल खोले है। केन्द्र सरकार ने 2017-18 के दौरान जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल योजना के तहत 10 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है।

72 नए एकलव्य मॉडल स्कूलों को मंजूरी — केन्द्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल (ईएमआरएस) के जरिए जनजातिय छात्रों को शिक्षा दिलाने के लिए कई कदम उठाए है इसी के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में 51 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू की गई है।

जनजातीय छात्रों की छात्रवृत्ति में वृद्धि — आदिवासी छात्रों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति में खासी बढ़ोतरी की गई है। नौवीं और दसवीं कक्षा में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के लगभग 10 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष प्री-मैट्रिक छात्रवृत्तियों के रूप में लगभग 200 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लगभग 20 लाख छात्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिवर्ष 750 करोड़ रुपये जारी किए गए है।

राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल - 2016

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने 2016 को प्रथम राष्ट्रीय जनजातीय कार्निवाल का सफल आयोजन किया गया इसमें देशभर से आई सैकड़ों जनजातीय कलाकारों ने परंपरागत वेशभूषा में कार्निवाल परेड़ में भाग लिए देशभर के लगभग 20,000 प्रतिनिधियों ने भी इस समारोह में शिरकत की।

आदिवासियों को मिल रहे हैं मुफ्त LPG कनेक्शन — इस योजना से भी जनजातीय समुदाय के लोगों को जोड़ा गया है और को शिक्षा की गई है कि ज्यादा से ज्यादा आदिवासी क्षेत्रों में मुफ्त एलपीजी कनेक्शन पहुंच सके।

गरीब आदिवासियों को पक्का मकान — प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत आदिवासियों को भी इसका फायदा मिलेगा।

जनधन खाते — जनधन योजना के तहत आदिवासियों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया

खुले में शौच से मुक्ति — खुले में शौच करने वालों में ज्यादातर गरीब और खासकर आदिवासी रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत आदिवासी इलाकों में भी शौचालय बनाए जा चुके हैं।

गांवों से दूर हुआ अंधेरा — ~~दीन दयाल~~ दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में जो अंधेरे में रहने को मजबूर थे उन्हें रोशनी मिल गई है जनजाति कल्याण के लिए केन्द्र सरकार गंभीर है आदिवासियों की तादाद जहां अधिक है उस जिले में उत्थान पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र — इस परियोजना का उद्देश्य विभिन्न पारंपरिक आधुनिक व्यवसाय में उनके शैक्षिक योग्यता के अनुसार वर्तमान आर्थिक रुझानों तथा बाजार क्षमता के आधार पर जनजातियों के कौशल का उन्नयन करना है। जिससे वे लाभकारी रोजगार हासिल कर सके

यह योजना 100% अनुदान उपलब्ध कराती है तथा राज्य सरकारों एवं राज्य क्षेत्रों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

कम साक्षरता वाले जिले में जनजातियों की लड़कियों के बीच शिक्षा का सुदृढ़ीकरण —

इस योजना का उद्देश्य पहचाने गए जनजाति जिले एवं ब्लॉकों में जनजातीय लड़कियों को 100% नामांकन की सुविधा के माध्यम से विशेषतः नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तथा आदिवासी जनजातीय समूह (पी.टी.जी.) की आबादी वाले क्षेत्रों में सामान्य महिला जनसंख्या और जनजातीय महिलाओं के बीच शिक्षा के स्तर के अंतर को समाप्त करना है।

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि० (ट्राइफेड)

जनजाति समुदायों को उनके लघु वनोपज और लघु वन उत्पाद के लिए सहायता और लाभकारी मूल्य प्रदान करने और उन्हें शोषक निजी व्यापारियों एवं बिचौलियों से बचाने के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास की स्थापना 1987 में भारत सरकार द्वारा किया गया।

अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग — इस योजना के तहत जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवाएं/राज्य सिविल सेवाएं, यू.पी.एस.सी. द्वारा अन्य परिक्षाएं जैसे सी.डी.एस., एन.डी.ए. चिकित्सा, इंजीनियरिंग के लिए प्रत्येक जनजाति छात्र को 20000 रुपये का भोजन व्यवस्था अस्थायी आवास शुल्क दिया जाता है।

जनजाति की लड़कियों हेतु छात्रावास — छात्रावासों की संख्या 100 तक है छात्रावास अनुसूचित जनजाति के लिए प्राथमिक, मध्य माध्यमिक महाविद्यालय, तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा हेतु उपलब्ध है।

जनजाति के लड़कों हेतु छात्रावास — लड़कों हेतु छात्रावास योजना का उद्देश्य नियम एवं शर्तें तथा सहायता की पद्धति सभी जनजाति लड़कियों हेतु छात्रावास योजना के समान ही है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति योजना - (आर.जी.एन.एफ.)

यह योजना 2005-06 में आरम्भ की गई थी. इस योजना के तहत एम.फील एवं पी.एच.डी. कर रहे छात्रों को अध्येतावृत्ति प्रदान की जाती है।

जनजातियों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना -

यह योजना इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में विदेशों में मास्टर स्तर के पाठ्क्रम पी.एच.डी. और पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान कार्यक्रम स्तर के पाठ्क्रम तकनीकी अनुसूचित जनजाति छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

— Dr. Arun Kumar
Reader
Deptt of Sociology
Shershah College
Sasaram -

Scanned by TapScanner